

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक: एफ 65 (1) खावि/एलपीजी/2026/ई-00868

जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य के मध्यनजर प्रदेश में एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पाद की निरन्तर एवं निर्बाध आपूर्ति तथा जनसामान्य की उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन (14435) पर प्राप्त शिकायतों के 24 घण्टे समाधान एवं संचालन हेतु आगामी आदेशों तक निम्नानुसार दलों का गठन किया जाता है:-

दल संख्या- 1 (समय प्रातः 06.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक)

क्र.सं	नाम अधिकारी/कार्मिक	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	श्री विनय कुमार शर्मा	उपायुक्त (प्रथम) उपभोक्ता मामले	9414534957
2	श्री हरिप्रसाद बलाई	जि.र.अधि. सतर्कता, खाद्य विभाग।	8058385845
3	श्री अशोक योगी	प्रवर्तन अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग।	9950705633
4	श्री नरेश प्रजापत	वरिष्ठ सहायक, उपभोक्ता मामले विभाग।	9079982544
5	श्री सागर गुर्जर	कनिष्ठ सहायक, उपभोक्ता मामले विभाग	9950667321

दल संख्या- 2 (समय अपराह्न 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक)

क्र.सं	नाम अधिकारी/कार्मिक	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री सौरभ जैन	उप नियन्त्रक, विधिक मापविज्ञान।	8890376407
2	श्री निशान्त पंचोली	प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर, (ग्रामीण)	9982198880
3	श्री रमेश कुमार शर्मा	सहा. प्रशासनिक अधिकारी, उपभोक्ता मामले।	9782486299
4	श्री केशव कुमार गौतम	कनिष्ठ सहायक, खाद्य विभाग।	7737972453
5	श्री रविन्द्र सिंह मेड़तिया	सहा. प्रशासनिक अधिकारी, खाद्य विभाग।	8829908516

दल संख्या- 3 (समय रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक)

क्र.सं	नाम अधिकारी/कार्मिक	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1.	श्री चन्दीराम जसवानी	उपायुक्त (चतुर्थ) खाद्य विभाग।	9660119090
2	श्री संदीप माथुर	सहायक आयुक्त (द्वितीय), खाद्य विभाग।	9772201312
3	श्री मुकेश खींची.	प्रवर्तन अधिकारी, जि.र.अधि. जयपुर, (द्वितीय)	9799432911
4	श्री सुमित चौधरी	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, खाद्य विभाग।	9414379938
5	श्री ज्ञान सिंह	वरिष्ठ सहायक, उपभोक्ता मामले विभाग।	8058897969

उक्त दल प्रभारी निश्चित समयावधि के पश्चात आगामी दल प्रभारी को प्राप्त शिकायतें अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक दल द्वारा प्राप्त शिकायतों का सम्पूर्ण विवरण तैयार कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिदिन प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन
निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान ।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान ।
4. संयुक्त सचिव (जेवी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान ।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान ।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
7. कार्यकारी निदेशक एवं राज्य स्तरीय समन्वय तेल कम्पनियां, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त उपायुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान ।
9. एसीपी, आईटी सैल को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावे ।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान ।
11. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान ।
12. रक्षित पत्रिका